रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML/2004.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 29 जून, 2004/8 आषाढ़, 1926

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 29 जून, 2004

संख्या वि0 स0-गवर्नमैंट बिल/1-41-2004.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास वस्तुएं कर

संशोधन विधेयक, 2004 (2004 का विधेयक संख्यांक 12) जो आज दिनांक 29 जून, 2004 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

जे0 आर0 गाजटा,
सचिव ।

2004 का विधेयक संख्यांक 12

हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर संशोधन विधेयक, 2004

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर अधिनियम, 1979 (1979 का 15) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर संशोधन अधिनियम, 2004 है ।

धारा 6-ख का प्रतिस्थापन ।

1979 का 15.

2. हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर अधिनियम, 1979 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'मूल अधिनियम' निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 6-ख के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"6-ख. प्रशमनस्वरूप एकमुश्त विलास-वस्तु कर.—आयुक्त, लोक हित में और ऐसी शर्तों के अध्यधीन जैसी विहित की जाएं, स्वत्वधारियों के किसी भी वर्ग से, इस अधिनियम के अधीन किसी भी अवधि के लिए संदेय विलास-वस्तु कर की राशि के बदले में, प्रशमनस्वरूप, अवधारित की जाने वाली और ऐसे अन्तरालों और ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, संदत्त की जाने वाली, एकमुश्त राशि प्रतिगृहीत कर सकेगा और तदुपरि, उस अवधि के दौरान जिसमें ऐसा प्रशमन प्रवृत्त रहता है, इस अधिनियम और तद्धीन, ऐसे स्वत्वधारियों द्वारा विवरणियां दाखिल करने तथा लेखों के रख-रखाव सम्बन्धी, बनाए गए नियमों के उपबन्ध उन्हें लागू नहीं होंगे ।"।

धारा 7 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 7 में, उप-धारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप-धारा (1-क) अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1-क) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि सरकार लोक हित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन समझती है तो यह, उस स्वत्वधारी की बाबत, जो अपने होटल में, जिसमें निवास के लिए वास सुविधा पन्द्रह कमरों से अधिक नहीं है, विलास-वस्तुएं उपलब्ध करवा रहा है, किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए अधिनियम के अधीन स्वतः निर्धारण स्कीम अधिसूचित कर सकेगी :

परन्तु यह कि यदि किसी स्वत्वधारी को, जिसकी प्राप्तियों का आवर्त स्वतः निर्धारण स्कीम के अन्तर्गत निर्धारित किया गया है, विलास-वस्तु कर का अपवंचन करते पाया गया है, तो निर्धारण प्राधिकारी ऐसे स्वत्वधारी को, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात्, शास्तिस्वरूप, निर्धारित विलास-वस्तु कर की रकम के अतिरिक्त ऐसी राशि, जो एक सौ प्रतिशत (परसेन्टम) से कम

नहीं होगी, किन्तु जो अपवंचित पाए गए तथा निर्धारित किए गए विलास-वस्तु कर की रकम के डेढ़ गुणा से अधिक नहीं होगी, संदत्त करने का निदेश देगा।"।

धारा 17 का संशोधन।

4. 'मूल अधिनियम' की धारा 17 की उप-धारा (2) में, खण्ड (कक) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड (ककक) अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ककक) रीति, जिसमें एकमुश्त राशि प्रशमनस्वरूप अवधारित की जा सकेगी और रीति, जिसमें धारा 6-ख के अधीन विलास-वस्तु कर संदेय होगा तथा अन्तराल जिन पर ऐसी एकमुश्त राशि, आयुक्त द्वारा प्रतिगृहीत की जा सकेगी; "।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर अधिनियम, 1979 के अधीन विलास-वस्तु कर के संदाय के प्रशमन का तथा स्वत:निर्धारण स्कीम का कोई उपबन्ध नहीं है। निर्धारण सुधारों के ऐसे उपायों का सूत्रपात करने के दृष्टिगत अधिनियम में अपेक्षित सामर्थ्यकारी उपबन्ध करने का विनिश्चय किया गया है ताकि सरकार स्वत:निर्धारण स्कीम को अधिसूचित कर सके और आयुक्त उक्त अधिनियम के अधीन संदेय विलास-वस्तु कर को राशि को प्रशमनस्वरूप प्रतिगृहीत कर सके। इसके अतिरिक्त, धारा 6-ख के विद्यमान उपबन्ध विनिर्दिष्ट अवधि के लिए प्रवर्तन में थे और यह अवधि पहले ही समाप्त हो गई है, इसलिए इनका लोप किया जा रहा है।

2. यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

रंगीला राम राव,
प्रभारी मन्त्री।

शिमला :
तारीख.....जून, 2004

वित्तीय ज्ञापन

-शून्य-

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 2 सरकार को नियम बनाने के लिए सशक्त करने तथा अन्तरालों, शर्तों तथा रीति, जिसमें एकमुश्त राशि को प्रशमनस्वरूप अवधारित, संदत्त और प्रतिगृहीत किया जा सकेगा, का उपबन्ध करने के लिए है। शक्तियों का यह प्रत्यायोजन आवश्यक और सामान्य स्वरूप का है।

हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर संशोधन विधेयक, 2004

हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर अधिनियम, 1979 (1979 का 15) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

रंगीला राम राव,
प्रभारी मन्त्री ।

सुरेन्द्र सिंह ठाकुर,
सचिव (विधि) ।

शिमला :
तारीख..... जून, 2004

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 12 of 2004.

THE HIMACHAL PRADESH TAX ON LUXURIES (IN HOTELS AND LODGING HOUSES) AMENDMENT BILL, 2004

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Tax on luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Act, 1979 (Act No. 15 of 1979).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-fifth Year of the Republic of India, as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Amendment Act, 2004.

Substitution of section 6-B.

2. For section 6-B of the Himachal Pradesh Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Act, 1979 (hereinafter referred to as the 'principal Act), the following shall be substituted, namely:— 15 of 1979

"6.*B.* **Lump sum luxury tax by way of composition.**—The Commissioner may, in the public interest and subject to such conditions as may be prescribed, accept from any class of proprietors in lieu of the amount of luxury tax payable under this Act for any period, by way of composition, a lump sum to be determined and to be paid at such intervals and in such manner as may be prescribed, and thereupon, during the period such composition remains in force, the provisions of this Act and the rules made thereunder relating to the filing of returns and the maintenance of accounts by such proprietors shall not apply to them.".

Amendment of section 7.

3. In section 7 of the principal Act, after sub-section (1), the following sub-section (1-A) shall be inserted, namely :—

"(1-A) Notwithstanding anything contained in this Act, if the Government considers it necessary and expedient, in public interest so to do, it may in respect of a proprietor providing luxury in his hotel in which the accommodation for residence does not exceed fifteen rooms, notify, for any financial year, a scheme of self-assessment under the Act :

Provided that in case any proprietor, whose turnover of receipts has been assessed under the self-assessment scheme, is found to have evaded the luxury tax, the Assessing Authority shall , after affording such proprietor a reasonable opportunity of being heard, direct him to pay by way of penalty, in addi-

tion to the amount of the luxury tax assessed, a sum which shall not be less than one hundred per centum. but which shall not exceed one and a half times of the amount of luxury tax found to have been evaded and assessed.".

Amendment of section 17.

4. In section 17 of the principal Act, in sub-section (2), after clause (*aa*), the following clause (*aaa*) shall be inserted, namely:—

"(*aaa*) the manner in which a lump sum by way of composition may be determined and the manner in which the luxury tax under section 6-B shall be payable, and the intervals at which such lump sum may be accepted by the Commissioner;".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Under the Himachal Pradesh Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Act, 1979, there is no provision of composition of luxury tax payment and self assessment scheme. With a view to introduce such measures of assessment reforms, it has been decided to make requisite enabling provisions in the Act so that it may be possible for the Government to notify the scheme of self-assessment and the commissioner may accept payment of luxury tax, payable under the said Act, by way of composition. Further, the existing provisions of section 6-B were operative for a specific period and the same, having already outlived that period, are being omitted.

2. This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

RANGILA RAM RAO,
Minister-In-Charge.

SHIMLA :

The ..... June, 2004.

FINANCIAL MEMORANDUM

-Nil-

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 2 of the Bill seeks to empower the Government to make rules and to provide for the intervals, conditions and the manner in which a lump sum by way of composition may be determined, paid and accepted. These delegation of powers are essential and normal in character.

THE HIMACHAL PRADESH TAX ON LUXURIES (IN HOTELS AND LODGING HOUSES) AMENDMENT BILL, 2004

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Act, 1979 (Act No. 15 of 1979).

RANGILA RAM RAO,
Minister-in-Charge.

SURINDER SINGH THAKUR,
Secretary (Law).

SHIMLA :

The.....June, 2004.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित